वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

क्रमांक -320
दिनांक 18-3-15

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 91 वीं बैठक दिनांक 14 मार्च 2015 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालय, जयपुर में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01.	प्रो0 विनय पाठक कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
02.	श्री हनुमंत सिंह भाटी संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं प्रतिनिधि वित्त विभाग, राज0 सरकार।	सदस्य
03.	प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव दूरस्थ शिक्षा इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
04.	प्रो0 प्रदीप साहनी स्कूल आफ सोशियल सांइस इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
05.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर आचार्य, राज0 विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
06.	प्रो0 दिनेश कुमार गुप्ता निदेशक, शोध वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
07.	डा0 अरविंद पारीक निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,भरतपुर।	सदस्य
08.	श्री एम0 डी0 देथा कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव
09.	डा0 सुरेश चंद्र शर्मा वित्त अधिकारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	विशेष आमंत्रित
10.	प्रो0अशोक शर्मा आचार्य, राज0 विज्ञान वमखुविवि,कोटा।	विशेष आमंत्रित

91/01 प्रबंध मंडल की 90वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी 2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि भविष्य में कार्यवाही विवरण सदस्यों को प्रेषित करने के साथ ही विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र पर दो सहायक कुलसचिवों के पदस्थापन के सम्बन्ध में बैठक में पुनः चर्चा उपरांत क्षेत्रीय निदेशकों के अनुरोध के क्रम में कार्यो की आवश्यकता को पूर्ण किए जाने हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों पर 02 सहायक कुलसचिवों की नियुक्ति किए जाने के कार्यवाही विवरण निर्णय को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबंध मंडल की 88वीं बैठक के निर्णय संख्या 88/11 निर्णित स्टाफिंग पेटर्न में बिंदु संख्या 02 पर 01 उप/सहायक कुलसचिव अंकित है, उसे प्रबंध मंडल की 90वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी 2015 में निर्णय संख्या 90/12 के बाद उप/सहायक कुलसचिव के 02 पद पढा जाए, और इसी अनुरूप 88/11 के क्रम संख्या 02 में 90वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी 2015 के पश्चात् संशोधन पढा जाए।

सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को समाप्त किए जाने सम्बन्धी एजेंडा बिंदु संख्या 01 के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) द्वारा लिखा है कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद विलोपन मा0 न्यायालय में दायर वाद के निर्णय के पश्चात् ही पदविलोपन की कार्यवाही नियमानुसार की जाए तथा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जाए।इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा ग्रुप–4 के पत्रांक प.8(8)शि–4/2006 पार्ट दिनांक 28.07.14 द्वारा यह अंकित किया गया था कि विश्वविद्यालय अपनी वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को समाप्त कर सकता है, जिसकी पालना में विश्वविद्यालय द्वारा पद समाप्त करने के आदेश कमांक 3837 दिनांक 14.10.14 जारी किए गए जिसकी प्रति उच्च शिक्षा विभाग को भी पृष्ठांकित की गई थी।स्पष्ट है कि 90वीं बैठक के दिनांक 20 जनवरी 2015 से पूर्व ही पद राज्य सरकार के पत्र के अनुसरण में जारी आदेश द्वारा पदविलोपित हो चुका था,ऐसी स्थिति में न्यायालय निर्णय पश्चात् विलोपन की स्थिति बैठक दिनांक 20 जनवरी 2015 को नहीं थी,पद पहले ही उपरोक्तानुसार विलोपित हो चुका था। निर्णय लिया गया कि न्यायालय निर्णय होने पर तत्समय न्यायालय निर्णय से राज्य सरकार एवं प्रबंध मंडल को अवगत करवाया जाए।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा के पत्र के बिंदु संख्या 02 में लिखा गया है कि निलंबित सहायक आचार्य श्री राकेश शर्मा की बहाली के प्रकरण पर विचार विमर्श करने हेतु गठित समिति की बैठक से सम्बन्धित सूचना समय पर विभाग को उपलब्ध करवावें।इस सम्बन्ध में कमेटी की बैठक आयोजित हो चुकि है, जिसका कार्यवाही विवरण सदस्यगणों को उपलब्ध करवा दिया गया है। निर्णयानुसार कमेटी गठन एवं बैठक सूचना से शासन को अवगत कराया गया था,बैठक के कार्यवाही विवरण पर आगे विचार होगा। जिससे शासन को अवगत करवाया जावे।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा के पत्र के बिंदु संख्या 03में लिखा है कि विभिन्न अशैक्षणिक पदों को विभाग के आदेश क्रमांक 8(8)शिक्षा–4/2002–पार्ट दिनांक 28.07.14 द्वारा विलोपित किए गए पदों की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को नहीं दी गई

है।इस सम्बन्ध में सदन द्वारा व्यवस्था दी गई कि भविष्य में पद विलोपन एवं सृजन सम्बन्धी आदेश की प्रति राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भी पृष्ठांकित की जावे। पूर्व में पदों का विलोपन राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.07014 के अनुसरण में ही हुआ है। निर्णय लिया कि उपरोक्त स्थिति से शासन को सूचित किया जावे।

सहायक आचार्य, योगा का पद राज्य सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश कमांक प.10(3)आयु/2012 पार्ट दिनांक 27.10.14 की पालना में प्रतिनियुक्ति से भरा गया है, यह आदेश शासन से जारी हुआ था, विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से कोई ओदश जारी नहीं किया ।निर्णय लिया कि इस स्थिति से शासन को अवगत करवाया जावे। संयुक्त सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि विश्वविद्यालय के किसी भी पद को राज्य सरकार की अनुमति बिना नहीं भरे। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को राजभवन से प्राप्त पत्र कमांक 1219 दिनांक 18.02.14 के बिंदु संख्या 02 में अतिरिक्त मुख्या सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 01.04.14 से पहले की शैक्षणिक भर्तियों के बारे में विश्वविद्यालयवार क्लीयरेंस दी जा चुकि है तथा दिनांक 01 अप्रेल 2010 के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा के पत्र के बिंदु संख्या 04 एजेंडा में लिखा है कि एजेंडा बिंदु संख्या 90/13(2)(3) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि दोनों प्रस्ताव सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए थे तथा निर्णित हुए थे, फिर भी प्रस्ताव संख्या 90/13(2) इस बैठक में पुनः प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है,जिस पर आगे पृथक से चर्चा होनी है। 90/13(3) पर उपर विवेचन किया गया है निर्णय दिया कि 90/13(2)(3) पटल पर रखे जाकर निर्णित हुए थे।

उक्त चर्चा उपरांत प्रबंध मंडल की 90वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

91/02 प्रबंध मंडल की 90वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का पालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

91/03 विद्या परिषद की 51वीं बैठक दिनांक 12 मार्च 2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा विद्या परिषद की 51वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

91/04 स्वच्छ भारत अभियान के तहत 07 गावों का चयन कर उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए जाने एवं इन्हें स्मार्ट गांव बनाने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 07 गावों को गोद लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि इसके लिए प्रस्तावित बजट राशि 50000/–रू0 बहुत कम है, अतः इसे बढाकर एक लाख रूपये की जाए तथा इसकी व्यवस्था हेतु अन्य ऐजेंसियों एवं एम0जी0ओ0 सी भी धन प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाए।इसमें डेक ग्रांट का भी उपयोग किया जाए।

91/05 निलंबित सहायक आचार्य श्री राकेश शर्मा की बहाली के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

निलंबित सहायक आचार्य श्री राकेश शर्मा के प्रकरण में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय इन्हें बिना काम लिए इस समय 75 प्रतिशत तक निर्वाह भत्ता दे रहा है, ऐसी स्थिति में निलम्बन को तीन से अधिक वर्ष होने तथा चार्जशीट पेश होने को एक वर्ष से अधिक का समय होने एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 09.04.14 तथा 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता बिना कार्य लिए देने को दृष्टिगत रख श्री राकेश शर्मा को उनके विरूद्व आपराधिक प्रकरण एवम् अन्य विभागीय जांच आदि कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निलंबन से बहाल कर दिया जाए, निलंबन काल के सम्बन्ध निर्णय आपराधिक प्रकरण के अंतिम निर्णय एवम् विभागीय जांच आदि के अंतिम निर्णय पश्चात् किया जाए। यह भी निर्णय लिया कि प्रबंध मंडल के निर्णय एवं इसकी पालना में की गई कार्यवाही से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी सूचित किया जाए।

91/06 श्री दिगबंर जैन भगवान महावीर संस्थान आतिशय क्षेत्र नसियांजी मार्ग दादाबाडी कोटा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में उद्यान,आडिटोरियम एवं आर्ट गैलरी के निमार्ण का प्रस्ताव विचारार्थ।

श्री दिगबंर जैन भगवान महावीर संस्थान आतिशय क्षेत्र नसियांजी मार्ग दादाबाडी कोटा से प्राप्त प्रस्ताव की प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा प्रशंसा व्यक्त करते हुए इस कार्य में प्रयास हेतु कुलपति महोदय की सराहना की गई। प्रस्ताव में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं में आंशिक संशोधन करते हुए कि बैंक खाते का संचालन कुलसचिव एवं नियंत्रक वित्त द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने के स्थान पर विश्वविद्यालय के अन्य खातों के अनुरूप केवल नियंत्रक, वित्त, वमखुविवि, द्वारा ही खाते का संचालन किया जाए।

अनुशंसाओं में केवल महावीर के स्थान पर वर्धमान महावीर किया जावे तथा संत कुटिर के स्थान पर वर्धमान महावीर विशिष्ट अतिथि गृह किया जाए।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बिंदु संख्या 10 में विश्वविद्यालय एवं जैन समाज का कार्यक्रम एक ही दिवस को निर्धारित होने पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी का उल्लेख है, उसको के स्थान पर विश्वविद्यालय को अंकित किया जाए।

इन संशोधन के साथ अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

91/07 परीक्षा नियंत्रक के पद की योग्यता में संशोधन सम्बन्धी पूर्व बैठक निर्णय एवं पुनः प्रस्ताव पर के प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय।

पूर्व बैठक में हुए निर्णय की उपर पुष्टि कर दी गई है, तथापि प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत होने पर इस अवसर का उपयोग करते हुए, परीक्षा नियंत्रक पद की योग्यता में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए चयन हेतु प्राप्तांकों का वर्गीकरण निम्नानुसार निर्णय किया गयाः–

1. एकेडेमिक प्राप्तांक 20 प्रतिशत
   (सैक0 05 अंक, सीनियर सैक0 5 अंक, स्नातक–5 अंक, स्नातकोत्तर–5 अंक)
2. लिखित परीक्षा प्राप्तांक 50 प्रतिशत
3. कंन्यूटर प्रेक्टिकल परीक्षा प्राप्तांक 20 प्रतिशत
   (MS office software database)
4. साक्षात्कार प्राप्तांक 15 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव को निम्नानुसार संशोधन सहित अनुमोदित किया गयाः–

6000/–रू0 ग्रेड पे में अथवा समकक्ष/समतुल्य वेतन पर किसी सरकारी / निजी संस्था (विधि सम्मत मान्यता प्राप्त) में सहायक आचार्य के पद पर 06 वर्ष का कार्यानुभव अथवा समकक्ष पद/समतुल्य वेतन परयथा वैज्ञानिक अथवा अन्य समकक्ष पद पर 06 वर्ष का कार्यानुभव ।
अथवा
6000/–ग्रेड पे में अथवा समकक्ष/समतुल्य वेतन पर किसी सरकारी / निजी संस्था (विधि सम्मत मान्यता प्राप्त) में प्रशासनिक अथवा समकक्ष पद पर कार्य का 06 वर्ष का अनुभव।

91/08 विश्वविद्यालय के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल की पूर्व बैठक के निर्णय के कम में गठित समिति का प्रतिवेदन निर्णयार्थ।

समिति के प्रतिवेदन का सदस्यों द्वारा अवलोकन कर प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय किया गया कि समिति की रिपोर्ट एवं इस रिपोर्ट पर प्रबंध मंडल की सहमति से राज्य सरकार एवं माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए।

91/09 आर0 के0 सी0 एल0 के साथ परीक्षा आयोजन हेतु किए जाने वाले एम0 ओ0 यू0 के नवीनीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

आर0 के0 सी0 एल0 के साथ परीक्षा आयोजन हेतु किए जाने वाले एम0 ओ0 यु0 के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आर0के0सी0एल0 की गर्वनिंग बोडी द्वारा इसे अंतिम करने पर विचार किया जाना है, आगामी कार्यवाही हेतु इसमें परिर्वतन/परिवर्धन/संशोधन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को जैसा वे उचित समझे करने हेतु अधिकृत किया गया। एम0ओ0यू0 होने पर अवगत कराया जाए।

साथ ही इस कार्य को उपयुक्त मानते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालय के नाम के प्रचार प्रसार होने की भी सराहना की गई, सदस्यों द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि परीक्षा शुल्क 140/–रू0 से बढाकर 150/–रू0 किए जाने का प्रस्ताव आर0के0सी0एल0 को भेजा जाए एवं निर्णय से आगामी बैठक में प्रबंध मंडल को अवगत करवाया जाए, तथा एम0ओ0यू0 की प्रति राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भी भेजी जावेगी जिस पर यदि राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो वे एम0ओ0यू0 में प्रभावी रहेंगे।इसका एम0 ओ0 यू0 में अंकन किया जाए।

91/10(1) निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के पद की योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि उक्त पद की योग्यता निर्धारण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन कर दिया जाए, जो राज्य सरकार एवं इग्नो एंव अन्य खुले विश्वविद्यालयों में निर्धारित योग्यताओं के क्रम में विश्वविद्यालय में इस पद में योग्यता में संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव देगी :–

1. प्रो0 मुजूलिका श्रीवास्तव — अध्यक्ष
   इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।
2. प्रो0 डी0 के0 गुप्ता — सदस्य
   वमखुविवि,कोटा।
3. डा0 अरविंद पारीक — सदस्य
   निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,भुरतपुर।
4. उप कुलसचिव, स्थापना — सदस्य सचिव
   वमखुविवि,कोटा।

उक्त समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे विचार विमर्श कर निर्णय हेतु प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

तत्पश्चात् आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)